संख्या-489/2026/I/1436862/2026/001-CN-1989214-6-7005-002-2-2025

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 20-08-2026

विषय:- 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ मे आवासीय भवनों के निर्माण हेतु दिनांक 20.12.1988 को अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर बढाये जाने हेतु वाद संख्या-27/1989 अरूणा सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 व अन्य के अन्तर्गत वाद संख्या-306/2024 ब्रह्मानन्द पाठक व अन्य में प्रथम अपील संख्या-379/2026 ब्रह्मानन्द पाठक व अन्य में में दिनांक 07.04.2026 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-42-2018(8), दिनांक 17.07.2026 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ मे आवासीय भवनों के निर्माण हेतु दिनांक 20.12.1988 को अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर बढाये जाने हेतु वाद संख्या-27/1989 अरूणा सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 व अन्य के अन्तर्गत वाद संख्या-306/2024 ब्रह्मानन्द पाठक व अन्य में प्रथम अपील संख्या-379/2026 ब्रह्मानन्द पाठक व अन्य में में दिनांक 07.04.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य राजस्व अधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ से बढे हुए प्रतिकर रू0 1,44,38,269/- का 50 प्रतिशत रू0 72,19,135/- की स्वीकृति जारी कराने हेतु अनुरोध किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंश निम्नवत हैः-

The Implementation of the impugned judgment and award shall remain stayed, provided the appellant deposits 50% of the enhanced amount of compentation awrded by the reference court within a period of two months from today. The recovery of remaining 50% shall remain stayed until the disposal of this appeal. The appellants shall be intitled to receive the above amount without furnishing any surety or secority. It is made clear that if the above order is not complied with, the stay shall be deemed to have been automatically vacated."

(2) उक्त के क्रम में कि 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ मे आवासीय भवनों के निर्माण हेतु दिनांक 20.12.1988 को अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर बढाये जाने हेतु वाद संख्या-27/1989 अरूणा सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 व अन्य के अन्तर्गत वाद संख्या-306/2024 ब्रह्मानन्द पाठक व अन्य में प्रथम अपील संख्या-379/2026 ब्रह्मानन्द पाठक व अन्य में में दिनांक 07.04.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य राजस्व अधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ से बढे हुए प्रतिकर रू0 1,44,38,269/- का 50 प्रतिशत रू0 72,19,135/- (रुपये बहत्तर लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतीस मात्र)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

(1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2026 के निर्देशों के अनुपालन में आगणित धनराशि का सत्यापन कर लिया जायेगा।

(2) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि भुगतान करने का दायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।

(3)उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुसंगत शासनादेशों/नियमो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि अवमुक्त की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता /आडिट आपत्ति के लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 28.03.2026 मे निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत प्रकरण में भुगतान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 72,19,135 (रुपये बहत्तर लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002110700 केन्द्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ./सी.आर.पी.एफ.)/ राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-489/2026/I/1436862/2026/001-CN-1989214-6-7005-002-2-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
7. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
8. संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
11. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।